फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

बनवारीलाल बनाम रामी आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** प्रकरण संख्या 253 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
01.12.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत ज़रिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02, आगामी तारीख पेशी तक वाद भूमि रोही मौजा चक 19 आर.डब्ल्यु.डी. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के प०नं० 226/399 मु०नं० 07 के कि.नं० 15/1 की 0.127 है० भूमि में प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में धारित खातेदारी रकबे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 03/01/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ)**	
3/1/23	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/3/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/3/23	पत्रावली पेश हुई [illegible] आज [illegible] पत्रावली दि० 15/5/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प [illegible] में पेश हो।	
9/5/23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 में [illegible] में पेश हुई राजीनामा पेश नहीं अप्रार्थी उपस्थित नहीं पत्रावली दिनांक 20-7-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
20/7/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन पी.ओ. साहब ......अन्य कार्य में व्यस्त...... पत्रावली दि० ......5/9/23...... को पेश होवे।	
5/9/23	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ......छुट्टी पर होने से...... पत्रावली 13/9/23 को पेश होवे।	
13/9/23	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद अस्थायी आज्ञा पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली नाजर से बाद ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner